

“परियोजना आयात” स्कीम के अंतर्गत सीमा शुल्क की रियायती दर प्राप्त करने के आवेदन से संबंधित सामान्य सूचना

1. परियोजना की आरंभिक स्थापना/ऑटोमोटिव सेक्टर के संबंध में परियोजना का पर्याप्त विस्तार करने के लिए आयातित मशीनरी और उपकरण के संबंध में परियोजना आयात स्कीम के अंतर्गत सीमा शुल्क की रियायती दर प्राप्त करने का आवेदन **अनुबंध-I** में निर्धारित प्रोफार्मा में भारी उद्योग विभाग को भेजा जाना है।
2. आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।
3. आवेदन निम्नलिखित पते पर भेजा जाए:

संयुक्त सचिव

[ऑटो प्रभाग]

भारी उद्योग विभाग

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

उद्योग भवन, नई दिल्ली

\*\*\*\*\*

**परियोजना आयात” स्कीम के अंतर्गत सीमा शुल्क की रियायती दर**

मैसर्स.....के लिए.....  
 .....स्थित परियोजना की आरंभिक स्थापना/परियोजना  
 का पर्याप्त विस्तार करने के लिए आयातित मशीनरी और उपकरण के संबंध में “परियोजना आयात”  
 स्कीम के अंतर्गत सीमा शुल्क की रियायती दर प्राप्त करने का आवेदन।

**भाग ‘क’**

फर्म का नाम और पता	
फर्म की अवस्थिति/पता	
विनिर्माण की मद जैसा आईईएम पावती सं. में दिया गया है.....	
दिनांक.....	
सीमा शुल्क आयुक्त जिनके माध्यम से आयात किया जाना है, का पता	

**भाग ‘ख’**

हम यह पुष्टि करते हैं कि पृष्ठ के पीछे बताई गई मर्दे.....  
 स्थित परियोजना शुरुआत में स्थापित करने के लिए/परियोजना का पर्याप्त विस्तार करने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक विनिर्देशों के अनुसार केपिटल गुड्स ही हैं तथा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 98.01 के अंतर्गत शामिल हैं - जीई 107 क्र. सं. 441

हम, रियायती शुल्क के अंतर्गत आयातित केपिटल गुड्स के विपथन अथवा आयातित मशीनरियों और उपकरणों के दुरुपयोग की स्थिति में समय-समय पर यथासंशोधित संगत सीमा शुल्क अधिनियम के अनुसार किसी भी कानूनी कार्रवाई और दंड के लिए उत्तरदायी होंगे।

## मशीनरियों और उपकरणों की सूची

मैसर्स.....के लिए.....  
 .....स्थित परियोजना की आरंभिक स्थापना/परियोजना  
 का पर्याप्त विस्तार करने के लिए "खुला सामान्य लाइसेन्स" के अंतर्गत आयात किए जाने के लिए  
 प्रस्तावित मशीनरियों और उपकरणों की सूची।

क्र.सं.	ब्यौरा सहित मद विवरण	मात्रा	स्रोत	विदेशी मुद्रा में सीआईएफ मूल्य	भारतीय रुपये में सीआईएफ मूल्य	पीआई/पीओ सं. और तारीख
<b>योग</b>						

विनिमय दर	यूरो	ब्रिटेन पाउंड	अमेरिकी डॉलर	येन

सनदी अभियन्ता द्वारा सत्यापन

मैसर्स.....के लिए

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

नाम और पदनाम

मुहर

मुहर

फर्म को आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना आवश्यक है:-

1. विनिर्माण की मदों के संबंध में आईईएम/आईएल को प्रति।
2. स्थापित की जा चुकी मशीनों तथा स्थापित की जाने वाली मशीनों तथा भूमि, भवन और संयंत्र एवं मशीनरी की अलग-अलग अधिप्राप्ति के लिए आवेदन की तारीख तक की गई प्रगति (व्यय) को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए संयंत्र का नक्शा।
3. आयात की जाने वाली प्रत्येक मशीन/उपकरण का औचित्य और उसका अंतिम प्रयोग जिसके साथ उसके तकनीकी कागजात तथा प्रत्येक मशीन की क्षमता के संबंध में परिकलन शीट और साथ में संगत प्रोफार्मा चालानों अथवा क्रमादेशों को संलग्न करें। सेकंड हैंड मशीनों पर विचार समय-समय पर लागू आयात नीति के अनुसार किया जाएगा।
4. परियोजना के लिए मशीनों की मात्रा और मूल्य दर्शाते हुए, लगाई जाने वाली स्वदेशी मशीनों की सूची का ब्यौरा।
5. भूमि, जल, विद्युत, प्रदूषण आदि के संबंध में राज्य सरकार/एजेन्सियों से प्राप्त अनापत्तियों की प्रतियां।
6. क्या इकाई की आरंभिक स्थापना अथवा पर्याप्त विस्तार एकल चरण या विभिन्न चरणों में किया जा रहा है - अलग-अलग चरणों के लिए उसका ब्यौरा दर्शाया जाए।
7. विनिर्माण की मद (मदों) के मूल्य एवं मात्रा के संदर्भ में विगत तीन वर्षों के उत्पादन आंकड़े जिनका विनिर्माण विद्यमान संयंत्र/इकाई (केवल पर्याप्त विस्तार तथा विद्यमान स्थल पर नई वस्तु के विनिर्माण के मामले में लागू) में किया जा रहा है।
8. विनिर्माण की मद (मदों) के लिए (केवल पर्याप्त विस्तार में मामले में लागू) संयंत्र की स्थापित क्षमता।